रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062023-246455
CG-DL-E-12062023-246455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2453] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945
No. 2453] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 2023

का.आ. 2566(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 होगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में, खंड 3 में, उप- खंड (2) में, मद (i) को समाविष्ट किया जाएगा, नामत: -

"(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं:

 व्यापारी/थोक विक्रेता : **3000 टन;**

 रिटेलर **:** प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए **10 टन।**

 बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक आउटलेट के लिए **10 टन** और उनके सभी डिपुओं पर **3000 टन**

 प्रोसेसर्स : वार्षिक संस्थापित क्षमता का **75%, या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके, जो भी कम हो**

3. उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल अर्थात् (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर गेहूं के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएंगे।

[फा. सं. 3/1/2007- नीति-III]

सुबोध कुमार सिंह, अपर सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297 (अ) दिनांक 27 फरवरी 2007 और का.आ. संख्या 1488 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 12th June, 2023

S.O. 2566(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:-

1. **Short Title and Commencement-**

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2023

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (i) shall be inserted namely:-

"(i) Wheat for a period up to 31st March 2024 with following stock limits for all States and Union Territories:

 Traders/Wholesaler: **3000 MT;**
 Retailer**: 10 MT** for each Retail outlet.

 Big Chain Retailer: **10 MT** for each outlet and **3000 MT** at all their depot.

 Processors: **75%** of annual installed capacity **or quantity equivalent to monthly installed capacity multiplied by remaining months of 2023-24, whichever is less**.

3. Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal *(https://evegoils.nic.in/wsp/login)* of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 30 days of issue of this notification.

4. It shall be ensured that Wheat stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. *(https://evegoils.nic.in/wsp/login).*

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

SUBODH KUMAR SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15th February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16th June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29th August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31st August, 2007.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.